31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 26 मई 2025 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा–परीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जाँच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी या पूरक प्रस्तुत करना आवश्यक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
(विजय नानालाल कोठारी)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (शिपिंग), मुंबई

स्थान : मुंबई
तिथि : 05.08.2025

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 26 मई 2025 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने भारतीय साधारण बीमा निगम और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की, लेकिन उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका, जीआईसी री इंडिया निगमीय मेंबर लिमिटेड, यूके, जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी, एलएलसी, रूस, जीआईसी भूटान री लिमिटेड, भूटान और इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(ए) जीआईसी री साउथ अफ्रीका लिमिटेड, दक्षिण अफ्रीका, जीआईसी री इंडिया कॉरपोरेट मेंबर लिमिटेड, यूके, जीआईसी पेरेस्ट्राखोवानी, एलएलसी, रूस, जीआईसी भूटान री लिमिटेड, भूटान और इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि ये संबंधित कानूनों के तहत विदेशी देशों में निगमीय संस्थाएं हैं, इसलिए उनके सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और पूरक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए यह धारा लागू नहीं होती है।

तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने न तो सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इन कंपनियों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक जाँच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी या पूरक प्रस्तुत करना आवश्यक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
(विजय नानालाल कोठारी)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (शिपिंग), मुंबई

स्थान : मुंबई
तिथि : 05.08.2025

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 and the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26 May 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(Vijay Nanalal Kothari)
Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai

Place : Mumbai
Date : 05.08.2025

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of consolidated financial statements of GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA for the year ended 31 March, 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024 and Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26 May 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA and Agriculture Insurance Company of India Limited, but did not conduct supplementary audit of the financial statements of GIC Re South Africa Limited, South Africa, GIC Re India Corporate Member Limited, UK, GIC Perestrakhovanie, LLC, Russia, GIC Bhutan Re Ltd., Bhutan and India International Insurance Pte. Limited, Singapore for the year ended on that date. Further, section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to GIC Re South Africa Limited, South Africa, GIC Re India Corporate Member Limited, UK, GIC Perestrakhovanie, LLC, Russia, GIC Bhutan Re Ltd., Bhutan and India International Insurance Pte. Limited, Singapore being entities incorporated in Foreign countries under the respective laws, for appointment of their Statutory Auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of these companies. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(Vijay Nanalal Kothari)
Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai

Place : Mumbai
Date : 05.08.2025